


| तारीख      | प्रकरण संख्या 63/2021 जीसीएमएस नम्बर 2021/143<br>अबनवान ग्राम पंचायत गुडाकलां तहसील सोजत बनाम गौतम व अन्य<br>हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज  | नम्बर व तारीख<br>अहकाम जो इस<br>हुक्म की तामील में<br>जारी हुए |
|------------|--|--|
| 15.07.2024 | <p>अधिवक्ता प्रार्थी ने पत्रावली तलब किये जाने एवं निगरानी जरिये विड्रोल खारिज किये जाने का प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि ग्राम पंचायत गुडा कला में स्थित खसरा संख्या 304 गैर मुमकीन मगरा की भूमि ग्राम पंचायत की आबादी भूमि से चिपती हुई है, जिस पर ग्राम पंचायत द्वारा अप्रार्थी को पट्टा जारी कर दिया गया था। वर्तमान में श्रीमान जिला कलक्टर पाली के आदेश दिनांक 10.06.2024 के द्वारा खसरा संख्या 304 रकबा 1.30 हैक्टेयर को आबादी में परिवर्तन कर दिया है, जिससे उक्त खसरा आबादी में परिवर्तित हो चुका है। अतः जैर निगरानी के अस्तित्व में रहते गांव में वैर वैमनश्य व द्वेष की भावना बढेगी इसलिये प्रार्थी लोक अदालत की भावना से जैर निगरानी को विड्रोल करना चाहता है और प्रकरण को आगे नहीं चलाना चाहता है। अतः अधिवक्ता प्रार्थी के निवेदन पर विड्रोल प्रार्थना पत्र की सुनवाई हेतु पत्रावली आज तलब की गई।</p> <p>अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी विड्रोल किये जाने के प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी गयी। प्रार्थना पत्र के संलग्न ग्राम पंचायत गुडाकलां के पत्र दिनांक 12.07.2024 एवं श्रीमान जिला कलक्टर पाली के आदेश दिनांक 10.06.2024 का अवलोकन किया गया। चूंकि प्रार्थी स्वयं ही जैर निगरानी को आगे नहीं चलाना चाहते हैं और लोक अदालत की भावना से जैर निगरानी को विड्रोल करना चाहते हैं। इसलिये अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर जैर निगरानी जरिये विड्रोल खारिज की जाती है। निर्णय की सत्यप्रति मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, पाली एवं विकास अधिकारी पंचायत समिति सोजत को भिजवाई जावे। ग्राम पंचायत गुडाकलां को निर्णय की सत्यप्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का रेकॉर्ड लौटाया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।</p> <p style="text-align: center;"><br/>अति. जिला कलक्टर, पाली<br/>जिला कलक्टर<br/>पाली (राज.)</p> |  |